न्यायालय-आर.पी.मिश्र, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपूरी म०प्र०

Filing No.: 1397/2021 Registration No.: 310/2021 Date of Registration: 09-03-2021 CNR: MP3301-001588-2021

ठाकुरलाल बंजारा पुत्र गुलाब बंजारा, आयु 47 साल, निवासी—ग्राम बरईपुरा, थाना पोहरी, हाल निवासी—ग्राम अम्हारा, थाना इंदार, जिला शिवपुरी (म.प्र.)अभियुक्त/आवेदक

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना इंदार, जिला शिवपुरी म0प्र0।

.....अनावेदक

<u>पुनश्चः</u> दिनांक 10.03.2021

यह जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी के न्यायालय से विधिवत निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त।

अभियुक्त / आवेदक टाकुरलाल बंजारा की ओर से श्री राशिद जाफरी अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा, अपर लोक अभियोजक उपस्थित। पुलिस थाना इंदार, जिला शिवपुरी से अपराध क्रमांक—37 / 2021, अंतर्गत धारा—34 (2) आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय कैफियत के ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत।

अभियुक्त / आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ दण्ड प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियुक्त / आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. संक्षेप में यह है कि पुलिस थाना—इंदार, जिला शिवपुरी द्वारा आवेदक के विरुद्ध धारा—59(क), 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आवेदक को गिरफ्तार कर जे.एम.एफ.सी. कोलारस में प्रस्तुत किया, जहां से उसे सब जेल कोलारस भेज दिया गया है। आवेदक का उक्त अपराध से अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, उसे झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष हैं। आवेदक अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला अकेला व्यक्ति है। अतः आवेदक को उचित प्रतिभूति पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त / आवेदक की ओर से अपने जमानत आवेदनपत्र में यह भी उल्लेखित किया है कि आवेदक का धारा—439 द.प्र.सं. का यह प्रथम जमानत आवेदनपत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदनपत्र किसी भी न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लिम्बत नहीं है और न ही निराकृत हुआ है। उक्त तथ्य के समर्थन में बंटी बंजारा का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है, जमानत पर छोड़े जाने पर वह अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा पुनः अवैध शराब बेचने का काम करेगा। साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। अतः जमानत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्त से उक्त मदिरा बरामद नहीं हुयी है, उसे झूटा फंसाया गया है, इसलिये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी के परिशीलन से प्रकट होता है कि आरक्षीकेन्द्र इंदार में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक—37 / 2021, अंतर्गत धारा—34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध है।

अभियुक्त / आवेदक दिनांक 06.03.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के कब्जे से दो प्लास्टिक की केनो में 30—30लीटर कुल 60 बल्क लीटर अवैध कच्ची हाथ भटटी की मदिरा बरामद होना अभिकथित किया गया है। अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुये यह व्यक्त किया गया है कि यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया गया तो वह अपराध की पुनरावृत्ति करेगा। केस डायरी का परिशीलन करने पर यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार दर्शित नहीं है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर छोड़े जाने पर वह कोई अपराध नहीं करेगा। अतः अपराध के स्वरूप एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के लिये यह उचित मामला होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः बाद विचार अभियुक्त / आवेदक ठाकुरलाल बंजारा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न किये जाने हेतु थाना प्रभारी, पुलिस थाना इंदार जिला शिवपुरी की ओर प्रेषित की जाये।

> प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज किया जाये। प्रकरण पत्रावली विधिवत अभिलेखागार में जमा की जाये।

> > (आर.पी. मिश्र) चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी (म.प्र.)